|| न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़ (अलवर) ||

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक निगरानी संख्या : 40/2020
सी.आई.एस. नंबर : 40/2020

01. रामस्वरूप पुत्र बहादुर उम्र करीब 63 साल निवासी ग्राम खोह तहसील राजगढ पुलिस थाना टहला, जिला अलवर (राज.) **.......निगरानीकर्ता**

ब ना म

01. रामकरण पुत्र किशोर,
02. रामेश्वर पुत्र भौरेलाल,
03. जीतमल पुत्र भौरेलाल,
04. मातादीन पुत्र हरसहाय,
05. पप्पू पुत्र हरसहाय,
06. लल्या पुत्र हरसहाय,
07. सल्या पुत्र जयनारायण,
08. भौल्या पुत्र रामेश्वर,
निवासीयान ग्राम खोह तहसील राजगढ पुलिस थाना टहला, जिला अलवर (राज.) **.......गैर निगरानीकर्तागण**

''न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (अलवर) द्वारा मुकदमा संख्या 19/08/2013 रामस्वरूप बनाम रामकरण वगैरा में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.08.2020 के विरूद्ध आपराधिक निगरानी''

उपस्थितिः—
1. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पाटन, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, गैर निगरानीकर्तागण की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांकः 01 अप्रैल, 2026**

01. निगरानीकर्ता रामस्वरूप की ओर से यह निगरानी याचिका न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ द्वारा मुकदमा नंबर 19/08/2013 बअनुवान रामस्वरूप बनाम रामकरण वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.08.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिस आलोच्य आदेश के द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी अस्वीकार कर खारिज किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, "सायल/परिवादी रामस्वरूप द्वारा एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी श्रीमान उपखण्ड कार्यालय, राजगढ के

समक्ष दिनांक 22.05.2013 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 39 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 717/0.91, 719/0.59, 720/1.40, 726/0.42 हैक्टेयर वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में अवस्थित है। उक्त विवादित आराजी पर छीला, खेजडा, बबूल आदि के पेड करीब 200 भी अवस्थित है। उक्त साबिक आराजी संख्या प्रार्थी व उसके बाबा के लडके को संयुक्त रूप से आवंटित हुई थी। आवंटियों द्वारा उक्त आराजीयात पर कब्जा संभाल लिया। आवंटी खातेदार काश्तकार है तथा काश्त करता चला आ रहा है। आवंटी कन्हैयालाल आवंटन के बाद रोजगार हेतु बाहर चला गया तथा आज दिनांक तक वापस नहीं आया। अतः कन्हैयालाल को आवंटित भूमि पर भी प्रार्थी का कब्जा बदस्तूर जारी रहा। प्रार्थी तब से ही विवादित आराजीयात पर आमद—रफत का कब्जा काश्त करता आ रहा है। गैरसायलान/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी की आमद—रफत से मजाहमत पैदा की। गैरसायलान का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 15.05.2013 को गैरसायलान, प्रार्थी के कब्जेकाश्त की आराजीयात में जबरन घुस गये तथा प्रार्थी की फसल को जबरन काटकर ले गये तथा पेडों को काटकर नष्ट कर दिया। गैरसायलान/अप्रार्थीगण भू—माफिया प्रकार के मुठमर्द लोग है जो कि प्रार्थी की जमीन पर अशांति उत्पन्न करते हैं। आगामी बारिश के मौसम में विवादित आराजीयात पर फसल बोई जाएगी तथा गैरसायलान फिर से प्रार्थी को बेदखल कर आमद—रफत में मजाहमत पैदा करने पर आमादा है और उक्त आराजीयात पर भयंकर खून—खराबा होने की प्रबल आशंका है, जिस कारण उक्त आराजीयात को सरकार द्वारा कब्जेराज लिया जाकर प्रबन्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात को कब्जेराज लिया जाकर सरकारी प्रबन्ध में रखे जाने का निवेदन किया।''

03. उक्त इस्तगासा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी टहला से रिपोर्ट तलब की गई एवं गैरसायलान को तलब किया गया। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2020 को प्रार्थी/सायल रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिस आदेश दिनांक 21.08.2020 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

04. निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका में कथन किया गया है कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.08.2020 बेजा खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व खिलाफ रिकॉर्ड है, जो प्रथम दृष्टि में निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन नहीं किया, ना ही गौर किया, इस कारण अदालत सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में न तो अपनी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है और ना ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश किया है और ना ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के खण्डन में

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

अपना कोई जवाब ही पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी विवादित के संबंध में पुलिस थाना टहला से रिपोर्ट फरमाई गई थी परन्तु थाना टहला द्वारा अप्रार्थीगण से साजबाज होकर आराजी विवादित की रिपोर्ट न देकर आराजी खसरा नंबर 182 वाके ग्राम खोहदरीबा की रिपोर्ट पेश की है, जिस कारण भी अदालत सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और मुकदमा मजीज जांच का मोहताज होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तजबीज निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में लिखी गई ऑर्डरशीट को पढने से साबित होता है कि थाना टहला से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। बाद में रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट मांगी गई है जो ऑर्डरशीट बदल विवादित आराजीयात पर शांति भंग नहीं होने संबंधी आदेश का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि थानाधिकारी पुलिस थाना टहला द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राजगढ को प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांकित 27.10.2013 में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का अंकन किया गया है कि खसरा नंबर 717, 719, 720, 726 पर दोनों पार्टियों में विवाद चल रहा है। अतः शांति भंग होने का खतरा है तथा दोनों पक्षों में झगडा बढ सकता है।ी गई है, जिससे भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संदेह के घेरे में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र का अवलोकन करने के बाद उक्त आराजी विवादित के संबंध में दिनांक 25.09.2014 को रिपोर्ट थाना टहला से मांगी गई थी लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, ना ही पत्रावली तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर नही किया गया, ना ही मनन किया और अपनी तजबीज पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थाना टहला को दिनांक 22.05.2013 को मौके पर पहुंचकर इस आशय की रिपोर्ट पेश करने को लिखा गया कि विवादित आराजी पर लगे हुए पेडों को काटा गया है या नही, तुरन्त रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित फरमाये गये थे जो रिपोर्ट निर्णय से पूर्व तक थानाधिकारी टहला द्वारा पेश नही की गई है, इस कारण भी मुकदमा मजीद जांच का मोहताज है। गैरनिगरानीकर्तागण को अपना जवाब कब्जे के बारे में पेश करना चाहिए था किन्तु उनके द्वारा आज तक किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नही किया जबकि प्रार्थी द्वारा आराजी विवादित पर अपना कब्जा होना पेशकर्दा रिकॉर्ड साक्ष्य से स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पूर्णतयाः साबित किया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में अहम कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी विवादित पर विपक्षीगण/गैरसायलान का कब्जा किस प्रकार माना है, जिसके बारे में अपने निर्णय में नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र की एक प्रति तामील की विवाद के विषय वस्तु पर सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित किया जाना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और ना ही आराजी विवादित के कब्जे के बारे में किसी प्रकार की साक्ष्य जुटाई है। पुलिस थाना टहला द्वारा अप्रार्थीगण से साजबाज होकर आराजी खरीद का इकरारनामा तैयार कर विपक्षीगण को फसल कटवाई है जो इकरारनामा प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा बार—बार

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

चाहने के बावजूद भी पुलिस थाना टहला ने आज तक अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण हनुमान व रामेश्वर पुत्र जयनारायण फौत हो चुके है, इस कारण उनका नाम निगरानी से हटाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी विवादित पर प्रार्थी का कब्जा माना है इसके बावजूद भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में अहम भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रामजीलाल कोली, गंगाराम कोली के नाम आराजी विवादित को उनकी खातेदारी में बतलाई है जबकि ये लोग वर्तमान में जीवित नहीं है। प्रार्थी का इनसे कभी कोई विवाद नहीं है, ना ही रहा है, ना कभी इन लोगों ने कभी काश्त की है, ना ही इनके वारिसान से कोई विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त लोगों को नाम बेजा तौर पर अपने निर्णय में दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पुलिस रिपोर्ट मंगवाई है उसमें किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर पुलिस थाना टहला की रिपोर्ट पर विश्वास किया है, जो कि विश्वास करने योग्य नहीं है। पुलिस थाना टहला द्वारा जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें खसरा नंबर 726 पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.05.2013 को पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2013 को ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए थानाधिकारी टहला को निर्देशित किया गया था कि वे आराजी विवादित के संबंध में बिंदुवार रिपोर्ट करें। उक्त प्रार्थना पत्र को जांच हेतु थाना टहला द्वारा तत्कालीन एएसआई राजेन्द्र सिंह को बाबत जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। राजेन्द्र सिंह एएसआई द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की जांच नहीं करते हुए धारा 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत जांच कर परिवाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजगढ के यहां पेश कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी। उक्त प्रार्थना पत्र पर गौर नही करते हुए एएसआई राजेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर कार्यवाही की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करते हुए आदेश पारित किया है जो कानून के विरूद्ध है तथा अन्त में निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

05. निगरानी याचिका प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकर्तागण को नोटिस जारी किया, जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर उपस्थित आये। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। निगरानी याचिका पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

06. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का दौराने बहस तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजीयात में से आराजी खसरा नंबर 726 पर वर्तमान में प्रार्थी/निगरानीकर्ता का कब्जा है, जिसे स्वयं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में बतौर गैर खातेदार काबिज माना है। उनका यह

भी तर्क रहा है कि विवादित आराजीयात पर शांति भंग होने संबंधी रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना टहला द्वारा प्रेषित की गई थी, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कयासों के आधार पर तथ्यों व परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 21.08.2020 को पारित किया है जिस कारण उन्होंने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.08.2020 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्तागण गैर निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य सामग्री का विचार करते हुए विधिनुसार आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, ना ही हस्तक्षेप का कोई आधार है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

08. मैंने उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निगरानी याचिका में निगरानी न्यायालय को मुख्य रूप से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता के प्रश्न पर विचार करना होता है।

09. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह दर्शित होता है कि प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी में विवादित आराजीयात खसरा नंबर 39 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा से संवत 2046 के बंदोबस्त के बाद नवीन खसरा नंबर 717/0.91, 719/0.59, 720/1.40 व 726/0.42 हैक्टेयर पर अपना कब्जा बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के पूर्व के वर्ष में सरसों की फसल प्रार्थी द्वारा ही बोया जाना और काटा जाना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर स्वयं के साथ ही उसके बाबा के लडके कन्हैयालाल को सरकार द्वारा अलॉट किया जाना तथा अलॉटमेन्ट के चार—पांच वर्ष बाद अन्य अलॉटी कन्हैयालाल का रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला जाना और वापस नहीं आना, जिस पर स्वयं प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात पर कब्जा काश्त किया जाना अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।

इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.08.2020 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये जाने से यह दर्शित होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दो बिन्दुओं के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया गया है जिसमें से **प्रथम बिन्दु** के संबंध में यह मत पारित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नंबरान पर प्रार्थी अपने कब्जे के बारे में दावा स्पष्ट करने में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, ना ही वह यह स्पष्ट कर सका है कि गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी से उसे कब व कैसे बेदखल किया गया है। इसके अतिरिक्त **द्वितीय बिन्दु** के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मत पारित किया गया है कि मुताबिक थानाधिकारी टहला व

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से विवादित आराजीयात पर शांति भंग नहीं होने का अंदेशा जाहिर किया गया है जबकि धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसी सम्पतियों के कब्जे से संबंधित मामले आते हैं, जिनमें शांति भंग होने की आशंका होती है।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संदर्भ में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.08.2020 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये जाने से यह दर्शित होता है कि प्रथम बिन्दु अर्थात प्रार्थी के कब्जे के संबंध में स्वयं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 21.08.2020 के पैरा संख्या 08 में यह माना है कि विवादित आराजीयात में खसरा नंबर 726 पर प्रार्थी रामस्वरूप का कब्जा है तथा उक्त आराजी खसरा नंबर 726 पर मुताबिक जमाबंदी 1/2 हिस्सा कन्हैया पुत्र पांच्या व 1/2 हिस्सा रामसहाय पुत्र बहादुर अंकित है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पैरा संख्या 08 के अंत में स्वयं यह मत उल्लेखित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान में खसरा नंबर 726 बतौर गैर खातेदार प्रार्थी का ही कब्जा है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपने आदेश के पैरा संख्या 08 में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत गवाहों में से बोदन व मातादीन ने बताया कि रामस्वरूप का कब्जा रहा है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि यद्यपि प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी में उल्लेखित आराजीयात खसरा नंबर 717/0.91, 719/0.59, 720/1.40 पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को काबिज होना नहीं पाया गया है लेकिन खसरा नंबर 726/0.42 हैक्टेयर पर मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान में प्रार्थी रामस्वरूप का ही बतौर गैर खातेदार काबिज होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में प्रार्थी का विवादित आराजीयात में से आराजी खसरा नंबर 726 पर वर्तमान में बतौर गैर खातेदार प्रार्थी को काबिज होना माना है।

11. इसके अतिरिक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.08.2020 के पैरा संख्या 09 में यह अंकन किया है कि गैर सायलान द्वारा प्रार्थी की फसल काटना अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी द्वारा केवल मात्र विवादित आराजीयात में से गैर सायलान द्वारा चार—पांच पेड काट लिया जाना अंकित किया है तथा गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर फसल बोये जाने की धमकी दिया जाना अंकित किया है, जिसके आधार पर यह कही भी दर्शित नहीं होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकन किया गया हो कि गैर सायलान द्वारा विवादित भूमि से उसकी फसल काट ली गई हो। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात में से खसरा नंबर 726 पर प्रार्थी का बतौर गैर खातेदार काबिज होने पर भी सम्पूर्ण विवादित आराजीयात पर उसका कब्जा नहीं मानने संबंधी पारित आदेश न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

12. जहां तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वितीय बिन्दु

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

अर्थात विवादित आराजीयात पर शांति भंग नहीं होने संबंधी आदेश का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि थानाधिकारी पुलिस थाना टहला द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राजगढ को प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांकित 27.10.2013 में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का अंकन किया गया है कि खसरा नंबर 717, 719, 720, 726 पर दोनों पार्टियों में विवाद चल रहा है। अतः शांति भंग होने का खतरा है तथा दोनों पक्षों में झगडा बढ सकता है। अतः जमीन को राज्यसात कर ली जावे जिससे कानूनी व्यवस्था कायम रह सके। इसी प्रकार इससे पूर्व थानाधिकारी पुलिस थाना टहला को दिनांक 24.10.2013 को जांच अधिकारी द्वारा विवादित आराजीयात पर दोनों पक्षों में काफी विवाद होने व विवादित आराजीयात के बाबत शांतिभंग होने का अंदेशा होने व 145 सीआरपीसी की कार्यवाही किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिससे असहमत होने का कोई आधार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.08.2020 में दर्शित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में पारित किया गया आदेश दिनांकित 21.08.2020 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायसंगत रूप से पारित होना नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्तानुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह सही एवं युक्तियुक्त नहीं है, जिस कारण निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने य पाई जाती है।

:: आदेश ::

13. अतः निगरानीकर्ता **रामस्वरूप** की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध गैर निगरानीकर्तागण रामकरण वगैरा के स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.08.2020 अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पुनः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन कर विधि अनुसार आदेश पारित करें।

14. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब भिजवाई जावे।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)

15. आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)